राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या: 138 / 2025
निर्णय दिनांक: 13.04.2026
जीसीएमएस सं0: 2026 / 303
दायर दिनांक: 08.09.2025

1. भींयाराम पुत्र स्व. लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सुजानगढ़।

प्रतिवादी

उपस्थित:

1. वादी अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ।
2. प्रतिवादी पैरोकारराज तहसीलदार सुजानगढ़।

दावा घोषणात्मक एवं रेकार्ड दुरस्ती बाबत

–:निर्णय:–

निर्णय दिनांक: 13.04.2026

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ में खेत खसरा नम्बर 702 / 313 रकबा 1.8082 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 703 / 314 रकबा 1. 4162 हैक्टेयर का संयुक्त व अभिवाजित खातेदारी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज स्थित है, जिसमें वादी का 1 / 4 हिस्सा है जो वादी के कब्जे, अधिकार, उपयोग व उपभोग के हैं। उपरोक्त खसराजात के खेत वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांकित 16–07–2008 ई. को खातेदार नथी देवी, भंवरलाल व दीपाराम से खरीद किया था तथा विक्रय–पत्र निष्पादन के समय वादी का घर में बोलता नाम भींवाराम लिखा दिया गया, जबकि वादी का सही व दस्तावेजी नाम भींयाराम है, जो कि वादी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, व पैत्रक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 700 / 313 व खसरा नम्बर 701 / 314 में भींयाराम ही दर्ज है, वादी ने कृषि भूमि पर सरकारी लाभार्थ हेतु कागजात तैयार करवाये तो उक्त अपने गलत नाम का ज्ञान हुआ। वादी वादगत खसराजात का खातेदार कृषक है जिसे सरकारी लाभार्थ, विभाजन व अन्य सरकारी व अर्द्ध–सरकारी सहायता हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज गलत नाम को सही करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी को सरकारी लाभार्थ हेतु उक्त नाम को संशोधन करवाने की आवश्यकता है तथा वादी के नाम को संशोधित नहीं किया गया तो वादी को भविष्य में सरकारी व अर्द्ध–सरकारी सहायता नहीं मिलेगी जिससे वादी को अपूर्तीय क्षति होगी।

वादी ने अपने गलत नाम को संशोधन करने का निवेदन श्रीमान् तहसीलदार महोदय सुजानगढ़ से किया लेकिन संशोधन करने से मना करने पर वादी को वाद हैतुक प्राप्त है तथा वादी का कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार चला आने के कारण वादी को वादाधार प्राप्त है। वादी द्वारा निवेदन किया गया कि

(क) घोषणा की जावे कि वर्तमान खसरा नम्बर 702/313 रकबा 1.8082 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 703/314 रकबा 1.4162 हैक्टेयर रोही मौजा मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जहां पर वादी का नाम भींवाराम है उस स्थान पर मुताबिक दस्तावेजों के अपना सही नाम भींयाराम करवाने का अधिकारी है।

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वर्तमान खसरा नम्बर 702/313 रकबा 1.8082 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 703/314 रकबा 1.4162 हैक्टेयर रोही मौजा मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के राजस्व रेकार्ड में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के जो संलग्न वाद–पत्र के किये जा रहे है के आधार पर दुरस्त किये जाने के आदेश अता फरमावें।

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाये।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो हितकर वादी हो फरमाये।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी भींयाराम ने दिनांक 16.07.2008 को जरिये विक्रय पत्र ख0नं0 703/314 रकबा 1.4162 है0 व 702/314 रकबा 1.8082 है0 भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि खरीदी थी। विक्रय पत्र के समय से ही वादी का नाम भींयाराम था परन्तु बोलचाल की भाषा में भींवाराम होने की वजह से विक्रय पत्र में भींवाराम लिखवा दिया। जबकि अन्य दस्तावेजों में नाम भींयाराम ही है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी का नाम वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भींयाराम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गयीं

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार, मौका रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा आधारकार्ड, अन्य खाते की जमाबन्दी व सरपंच के प्रमाण पत्र में वादी का सही नाम भींयाराम दर्ज है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत हाता है।

—:आदेश:—

वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही मौजा मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ में खेत खसरा नम्बर 702/313 रकबा 1.8082 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 703/314 रकबा 1. 4162 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का नाम भींवाराम के स्थान पर भींयाराम किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

वइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

भींयाराम बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत डिक्री कृषि भूमि दुरस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा न0 135 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस, हाजरी श्री महेश शर्मा, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम रूप से डिकी किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही मौजा मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ में खेत खसरा नम्बर 702 / 313 रकबा 1.8082 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 703 / 314 रकबा 1. 4162 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार का नाम भींवाराम के स्थान पर भींयाराम किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी।

फीस.................................. मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 **माह 04 2026**

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पबकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिकं			मीजान		
मीजान					